

284

160

न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वा लियर म०१०
सर्किट कोर्ट रोवा जिला रोवा म०१०



विहारो लाल दाहि्या तनय श्री रामसजोवन दाहि्या ग्राम शाहपुर तहसील
नागौद जिला सतना म०१० ... निगराकार

RS 140-III/15

बनाम

प्रेमलाल कुशाहा तनय रामसहाय कुशाहा उम्र 55 साल सर्किट शाहपुर
तहसील नागौद जिला सतना म०१० .. गैर निगराकार

श्री. जसराज विप्लवकर्णी एड
द्वारा आज दिनांक 3-11-55 के
प्रस्तुत किया गया।
सिडर
सर्किट कोर्ट रोवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्री मान् तहसीलदार
वृत्त जसो के प्रकरण क्रमांक 79ए-68/14-15 आदेश
पत्रिका दिनांक 16.10.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०१० भू. राजस्व
सीहता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के सीक्षित तथ्य

यहाँक ग्रार्थी/ निगराकार को कुस्तीनी भूमि खसरा क्रमांक 909/1/1
स्थित ग्राम शाहपुर रा.नि.मं. रोवा, तहसील नागौद जिला सतना म०१०
आवादी की आराजी है, उक्त आराजी मे ग्रार्थी/ निगराकार ने कार्या
ग्राम पंचायत शाहपुर जनपद पंचायत नागौद जिला सतना म०१० के यहा से
मकान निर्माण हेतु विधिमत दिनांक 24.6.95 को मंजूरी लेकर निर्माण
कार्य कराया था, जिसे अनावेदक / गैर निगराकार रीजशन क्षीत पहुचाने
के दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बनावटो व मन्गदत तथ्यो के आधार
पर नया निर्माण कार्य बत्ताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगराकार के

विहारो लाल

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5140-~~5450~~-II/15 जिला सतना

विहारी लाल चौधरी विरुद्ध प्रमलाल कुशवाहा

1	2	3
<p>16-1-19-</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>जसराज विश्वकर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह <u>नायब</u> तहसीलदार तहसील <u>नागाद, जालनसा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>79/2-68/2014-15</u> में पारित आदेश दिनांक <u>16/10/15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>30.03.19</u> को कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p>सदस्य</p>

Handwritten notes:
4
- 24/11/19

Handwritten signature:
विहारी लाल